

अध्याय

VI

परियोजना सुपुर्दगी

परियोजनाओं के समय पर निष्पादन हेतु प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने हेतु आवश्यक समय, प्रत्येक गतिविधि की जटिलता और शुरु की जाने वाली गतिविधियों के क्रम का सटीक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। भेल द्वारा निष्पादित एक विशिष्ट तापीय विद्युत परियोजना में इसकी 17 विनिर्माण इकाईयों के नेटवर्क से उपकरण की आपूर्ति शामिल है। भेल द्वारा न बनाए जाने वाले कुछ सामान एवं उपकरण वेंडरों से खरीदे जाते हैं। सिविल निर्माण और ढांचागत कार्य, निर्माण आदि जैसी सेवायें भी बाहर से ली जाती हैं।

परियोजनाओं का निष्पादन निगम कार्यालय के परियोजना प्रबंधन समूह के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के तहत क्षेत्रीय विद्युत क्षेत्र कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। विनिर्माण इकाईयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विस्तृत समय-सीमा और क्रमबद्धता अर्थात् एल2 नेटवर्क तैयार करना अपेक्षित है। नेटवर्क यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना निष्पादन पर किसी व्यापक प्रभाव से बचने के लिए साइट पर सामग्री/उपकरण की उपलब्धता में देरी नहीं हो, उनकी वास्तविक आवश्यकता की आपूर्ति अग्रिम में न हो और ग्राहक बिलिंग अनुसूची के अनुसार दिए गए इंडाइस स्वीकार करता है। इस प्रकार समय पर परियोजना सुपुर्दगी के लिए पूर्व निर्धारित क्रमबद्धता के अनुसार एल2 नेटवर्क की निगरानी आवश्यक थी।

6.1 भेल द्वारा परियोजना निष्पादन

6.1.1 भेल द्वारा परियोजना निष्पादन में अत्यधिक देरी हुई थी जिसका विवरण इस प्रकार है:

- **विद्युत क्षेत्र:** 2012-13 से 2015-16 के दौरान विद्युत क्षेत्र द्वारा 43 परियोजनायें/आर्डर सुनिश्चित किए गए जिसमें से 40 चल रहे थे (मार्च 2016)। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन परियोजनाओं में से 28 के संबंध में नवम्बर 2016 तक 193 मुख्य कार्य होने बाकी थे। इनमें से केवल सात प्रमुख कार्य उनकी तत्संबंधी निर्धारित तिथि तक पूरे हो पाए थे, अन्य 98 प्रमुख कार्य एक से 51 महीने तक की देरी से पूरे हुए जबकि 88 कार्य अपने निर्धारित तिथि से एक से 36 माह बीत जाने के बावजूद अभी भी पूर्ण किए जाने थे (30 नवम्बर 2016 तक)।
- **उद्योग क्षेत्र:** उद्योग क्षेत्र द्वारा सुनिश्चित किए गए 90 परियोजनाओं/आर्डर में से 14 आर्डर निर्धारित समय के भीतर पूरे हुए जबकि 30 आर्डर एक से 21 महीनों की देरी से पूरे हुए।
- **अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां:** अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों द्वारा सुनिश्चित किए गए 16 आर्डर में से तीन आर्डर ग्राहकों द्वारा बाद में रद्द कर दिए गए थे। शेष 13 परियोजनाओं से एक निर्धारित समापन समय के भीतर चालू हो गई थी और दूसरी दो महीनों की देरी से चालू हुई। शेष 11 परियोजनाओं का समापन कार्यक्रम 31 मार्च 2016 के बाद था।

6.1.2 निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित 32 विद्युत क्षेत्र (पीएस) परियोजनाओं, 16 उद्योग क्षेत्र (आईएस) परियोजनाओं और पांच अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि (आईओ) परियोजनाओं की निर्धारित एवं वास्तविक संचालन की परियोजनावार स्थिति की समीक्षा से पता चला कि भेल कोई भी परियोजना निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं कर सका। परियोजनायें 3 से 84 महीनों की देरी से चालू हुई थी। परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के प्रति ग्राहकों ने निर्णीत हर्जाने (एलडी) के प्रति ₹ 1966.07 करोड़ रोक लिया जिसका विवरण निम्नवत है:

तालिका 6.1: निर्णीत हर्जानों के संदर्भ में रोक गई व्यापार क्षेत्र-वार राशि

व्यापार क्षेत्र का नाम	आरंभ की गई परियोजनाओं की सं.	परियोजनाओं की संख्या जिनमें ग्राहक ने एलडी के लिए राशि रोकी	रोके गये एलडी की राशि (₹ करोड़)
विद्युत क्षेत्र	32	27	1923.63*
उद्योग क्षेत्र	16	8	38.44
अंतर्राष्ट्रीय संचालन	5	2	4.00
कुल	53	37	1966.07

* ₹ 496.70 करोड़ जो ग्राहक द्वारा रोके गये परन्तु समान राशियों की बैंक प्रतिभूतियां जमा कर के निर्मुक्त करा लिया।

परियोजना निष्पादन में विलंब के कारणों के लिए उपभोक्ता और भेल दोनों उत्तरदायी थे। उपभोक्ताओं से संबंधित कारणों में साइट पर प्रहस्तन में विलम्ब, ड्राईगंस और विक्रेताओं का अनुमोदन, ईंधन की उपलब्धता, जल और विद्युत निकास प्रणाली आदि शामिल थे। भेल इकाईयों/एजेंसियों द्वारा गैर-समकालिक सुपर्दगियों और साइट गतिविधियों³² सहित भेल के कारण विलंब में साइट खोलने में विलम्ब, संयंत्रों³³ के संतुलन और अन्य समर्थकारी और यांत्रिकी ठेकेदारों को अंतिम रूप देने में विलंब, परिवहन में विलंब, भेल की विभिन्न इकाईयों के बीच समन्वय की कमी, भेल और इसके उप-ठेकेदारों द्वारा संसाधनों (श्रमबल, निर्माण उपस्कर आदि) को अपर्याप्त रूप से जुटाने में विलंब हुआ। लेखापरीक्षा में देखे गये भेल पर आरोप्य परियोजना-वार विलंब के कारण **अनुबंध 6.1** में दिये गये हैं। उपभोक्ता के कारण या अप्रत्याशित मुख्य परिस्थितियों के कारण, भेल को समय विस्तार मिला। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबंधन ने उपभोक्ताओं पर कोई दावे नहीं किये।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि उचित निर्धारण करने के लिए, उपभोक्ता संदर्भों और संबंधित गतिविधियों के सभी मामलों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन के दौरान, अन्य ठेकेदारों सहित भेल और उपभोक्ताओं के बीच सूचना, इनपुट और निर्माण स्थलों के कई अंतराफलक थे। कई बार, मध्यवर्ती परियोजना गतिविधियों में विलंब के कारण दावों को परिमाणित करने को कठिन बनाते हुए विभिन्न अप्रत्याशित मुख्य परिस्थितियों के कारण विलंब हुए थे। परियोजना के बाद के

³² निर्माण हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सामान की आपूर्ति में विलंब साइट पर आवश्यक सामान की पहले से ही आपूर्ति

³³ वे उत्पाद, प्रणाली और सेवाएं संयंत्रों का संतुलन हैं जो भेल की रेंज में निर्मित नहीं किये जा सकते, परन्तु जो भेल की परियोजना आवश्यकता के कार्यक्षेत्र का भाग हैं।

स्तर पर ही विस्तृत समय विस्तार और विलंब का विश्लेषण किया गया जब कारणों पर चर्चा की गई जिनसे विलंब हुआ और एलडी छूट वाणिज्यिक निपटान के भाग के रूप में दी गई थी। भेल ने भी उन मामलों में दावे किये जहां उपभोक्ताओं के कारण परियोजनाओं में विलंब हुआ और 4x250 मे.वा. नबीनगर, 5x270 मे.वा. नासिक चरण-1 2x660 मे.वा. बनहारपल्ली परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति की गई हैं।

यद्यपि लेखापरीक्षा मानता है कि कुछ परियोजना विलंब उपभोक्ताओं या अप्रत्याशित मुख्य घटनाओं के कारण थे परन्तु यह देखा गया था कि देर से शुरू की गई 53 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाओं में निर्णीत हर्जानों के प्रति उपभोक्ताओं द्वारा रोकी गई राशि दर्शाती है कि उपभोक्ताओं ने इन परियोजनाओं में विलंब के लिए भेल को उत्तरदायी माना है। वास्तव में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 परियोजनाओं में, उपभोक्ताओं ने ₹ 512.16 करोड़ के एलडी को अंतिम रूप दिया, जिसमें से भेल ने ₹ 378.41 करोड़ को बड़े खाते में डाल दिया। लेखापरीक्षा के लिए चयनित आरंभ की गई 32 विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के संबंध में, भेल ने किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया। सिवाय एक परियोजना (2x270 मे. वा. जीवीके गोईंदवाल) जिसे आरंभ किया जाना पश्चात रोक दिया गया था; भेल इन परियोजनाओं से निधि के आगमन से वंचित रहा और ब्याज की हानि भी उठानी पड़ी।

मामले का अध्ययन 1: निजी पार्टी (मै. जीवीके पावर लिमिटेड) का अवांछित पक्ष लिया जाना

2X270 मे. वा. गोइंदवाल साहिब टीपीएस के निर्माण का कार्य ₹1155 करोड़ की लागत पर मै. जीवीके पावर गोइंदवाल साहिब लिमिटेड (जीपीजीएसएल) द्वारा भेल को सौंपा गया (नवम्बर 2007)। क्रमशः 06.07.2012 और 04.03.2014 को दो इकाईयों को मिलाने के बाद, भेल द्वारा कोयले की अनुपलब्धता और बकाया राशि के गैर-भुगतान के कारण परियोजना को रोक दिया (20.05.2014) गया। राज्य मंत्री (एचआई और पीई) तथा सयुक्त सचिव (एमएचआई) की उपस्थिति में मै. जीवीके और भेल के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक (03.12.2015) के बाद इस शर्त पर परियोजना को पुनः आरंभ करने के लिए सम्मति हुई कि जीवीके (i) बकाया राशि दे (इस परियोजना के प्रति ₹47.08 करोड़ और श्रीनगर हाइड्रोपावर परियोजना के प्रति ₹50 करोड़, जो मार्च 2016 तक चार समान किस्तों में अदा की जानी थी); (ii) ₹110 करोड़ की निगमित गारंटी प्रस्तुत करे; (iii) एलडी के उद्ग्रहण बिना जून 2016 तक समय विस्तार करे; और (iv) भेल द्वारा प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त दावे और प्रतिदावों को 15.01.2016 तक निपटा लिया जाएगा।

मै. जीवीके ने ₹42.34 करोड़ निर्मुक्त किये (10.12.2015) और एक निगमित गारंटी प्रस्तुत (16.2.2016) की परंतु एलडी के उद्ग्रहण के बिना समय विस्तार की पुष्टि नहीं की, न तो श्रीनगर परियोजना के प्रति बकाया को समाप्त किया और न ही अधिक दिये गये समय के लिए भेल के दावों का निपटारा किया। मै. जीवीके, द्वारा इन शर्तों को पूरा न करने के बावजूद, भेल ने परियोजना कार्य पुनः आरंभ किये और 14.2.2016 को इकाई-1 और 15.3.2016 को इकाई-2 का सारा कार्य पूरा कर लिया। 15.3.2016 भेल ने मै. जीवीके (एलडी के बिना समय विस्तार, श्रीनगर परियोजना के प्रति बकाया का भुगतान और दावे/प्रति दावों का निपटान) द्वारा शर्तों को पूरा न करने के कारण दोबारा परियोजना को रोक दिया।

भेल द्वारा परियोजना के पुनः आरंभ करने के कारण परियोजना को पूरा किया गया और आरंभ किया गया। अप्रैल 2016 से परियोजना चल रही थी और विद्युत उत्पादन कर रही थी (सीइए की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, परियोजना ने अप्रैल से अगस्त 2016 तक 223.91 जीडब्ल्यूएच प्रतिघंटा उत्पादन किया)। यद्यपि भेल गारंटी को भुना नहीं सका क्योंकि इसने निष्पादन गारंटी टैस्ट पूरा नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि भेल ने

बैंक गारंटी देने के स्थान पर ₹110 करोड़ की कार्पोरेट गारंटी स्वीकृत की जो वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण था। अपूर्ण शर्तों को सुलझाये बिना परियोजना गतिविधियों को पुनः आरंभ करना और बाद में आरंभ करना भेल के हितों के लिए अलाभकारी साबित हुआ।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि (i) भेल ने बिना किसी विकल्प के आधार पर जीवीके ऊर्जा की कार्पोरेट गारंटी स्वीकृत की; (ii) परियोजना के हित में और साईट पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए, 15.03.2016 को इससे दूसरी इकाई को आरंभ किया गया, (iii) 15.03.2016 को परियोजना को रोकने के बाद, परियोजना स्थल पर आरंभ करने की किसी गतिविधि में भेल शामिल नहीं था। मंत्रालय ने आगे कहा (मई 2017) कि करार (7.12.2015) के आधार पर, भेल करार की तिथि तक शेष बकाया का भुगतान करने में सक्षम था और रोक उसके पास हटाने के बाद तैयार बिलों के लिए एक वैधानिक प्रवर्तनीय कार्पोरेट गारंटी भी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। बैंक गारंटी के स्थान पर कार्पोरेट गारंटी स्वीकार करके, प्रबंधन ने भेल के हितों से समझौता किया क्योंकि यह जीवीके की वित्तीय स्थितियों से अवगत था। मंत्रालय का उत्तर कि करार तिथि पर सभी बकाया शेष का भुगतान किया जा चुका था, गलत है। इस परियोजना के प्रति ₹47.08 करोड़ और श्रीनगर परियोजना के प्रति ₹50 करोड़ के कुल बकाया में से अभी भी ₹54.74 करोड़ के बकाया सहित केवल ₹42.34 करोड़ ही अदा किये गये थे।

6.2 शर्तों के अननुपालन के कारण आदेशों के लिए अग्रिमों की विलंबित प्राप्ति

सामान्यतः पीएस-मार्केटिंग द्वारा प्राप्त आदेश में निविदा मूल्य के आपूर्ति घटक के 10/15 प्रतिशत के समान ब्याज मुक्त अग्रिम के भुगतान का प्रावधान किया गया। भेल पूर्व-शर्तों के सेट को पूरा करने के बाद अग्रिम के लिए योग्य होगा नामतः अग्रिम बैंक गारंटी (बीजी) का प्रस्तुतीकरण, बीजी निष्पादन और संयुक्त उपक्रम के पत्रक (डीजेयू) के प्रति बीजी। अध्ययन किये गये नमूने में, लेखापरीक्षा ने देखा कि चार मामलों में भेल ने ऐसी शर्तों को पूरा करने में काफी अधिक समय लिया और अग्रिम की विलंबित प्राप्ति हुई।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि ठेकागत मामलों के निपटान के लिए उत्तम मूल्य/शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए सहयोगियों के साथ समझौते के कई राउंड पूरे किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप सहयोगियों द्वारा डीजेयू और बीजी के प्रस्तुतीकरण में कुछ विलंब हुआ।

तथापि, उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि भेल इन मामलों में समय पर ब्याज मुक्त अग्रिमों को प्राप्त नहीं कर सका।

6.3 अग्रिम/विलंबित आपूर्तियां

एल 2 नेटवर्क तिथि किसी परियोजना के घटक मदों की आपूर्ति तिथि आदेशित करता है। इस तिथि की अनुपालना कंपनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है, पूर्व प्रेषण से निधियों में अवरोध हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विकास के दौरान उच्चतर ब्याज लगा, जबकि विलंब से प्रेषण के कारण कंपनी पर निर्णीत हर्जानों का उद्ग्रहण किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने भेल निर्माण इकाईयों पर नमूना परियोजनाओं से संबंधित कार्य आदेशों के लिए वास्तविक प्रेषण की तुलना में निर्धारित की गई तिथियों की समीक्षा की और परिणाम नीचे बताया गया है:

- (i) त्रिची इकाई में, सामग्री के लिए खरीद आदेश एल 2 नेटवर्क सूची के अनुसार नहीं दिया गया था ₹201.11 करोड़ मूल्य वाले 2119 खरीद आदेश (पीओज़) सुपुर्दगी तिथि के तीन

वर्षों के बाद किये गये 78 आदेशों सहित निरस्तीकरण तिथि के बाद किये गये थे। इसी समय पर, ₹220.93 करोड़ मूल्य वाले 12454 पीओज़ आवश्यकता से पहले ही दे दिये गये थे। वास्तव में, ₹25.43 करोड़ मूल्य वाले 42 पीओ निरस्तीकरण तिथि से 900 दिन पहले ही दे दिये गये थे, प्रथम पीओ 1593 दिन पहले ही दे दिये गये थे।

- (ii) हैदराबाद इकाई में, ₹765.65 करोड़ के 121 प्रेषण एल 2 नेटवर्क तिथि (₹1 करोड़ से अधिक 477 प्रेषणों के नमूनों में से ₹2269 करोड़ मूल्य लेखापरीक्षा में अध्ययन किया गया) से छः से 31 महीने अग्रिम में दिये गये थे। दूसरी ओर, ₹5461 करोड़ (₹10 लाख मूल्य से अधिक) मूल्य वाले 7638 कार्य आदेश वार प्रेषणों में से, ₹4133 करोड़ के मूल्य पर 6183 एल 2 नेटवर्क तिथि से तीन से 84 महीनों के विलंब से प्रेषित किये गये थे।
- (iii) औद्योगिक प्रणाली ग्रुप, बेंगलुरु में, 1369 प्रेषणों में से, 838 प्रेषण एल 2 नेटवर्क तिथियों से छः से 44 महीने अग्रिम में दिए गये थे। दूसरी ओर, 531 प्रेषण एल 2 नेटवर्क तिथियों से तीन से 78 महीनों के विलंब से दिए गये थे। ऐसी विलंबित आपूर्तियों का मूल्य ₹286.83 करोड़ आंका गया।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि इस बात में अत्यधिक सावधानी बरती गई थी कि आपूर्तियों का विलंब परियोजना की पूर्णता को प्रभावित न करे। इसके अतिरिक्त सामान्यतः उपभोक्ताओं को उन कारणों के कारण समय विस्तार भी प्रदान किया गया जो भेल/इसके उपठेकेदारों/विक्रेताओं के कारण नहीं थे। अग्रिम आपूर्ति किये जाने वाली परियोजना के संबंध में, उपभोक्ता ने सामग्री के प्रेषण के लिए आवश्यक मंजूरी और अपेक्षित दस्तावेज दिये, इन्हें स्वीकृत किया और निविदा शर्तों ही अनुसार भुगतान किया।

उत्तर को वास्तविक बनाम निर्धारित सुपुर्दगी तिथियों में पाई गई काफी अधिक असमानता के मद्देनजर देखे जाने की आवश्यकता है जिससे भेल पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ा।

6.4 भेल की तुलना में इसके प्रतियोगी द्वारा परियोजना कार्यान्वयन

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) ने अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण आधार पर सूरतगढ़ (राजस्थान) में छाबरा परियोजना की प्रत्येक 660 मे.वा. की चार इकाईयों को आरंभ करने के लिए ठेके सौंपे (मार्च/अप्रैल 2013)। इन इकाईयों (5 और 6 इकाईयां) में से दो के लिए ठेके मै. एल एंड टी को सौंपे गये जबकि शेष दो (इकाई 7 और 8) भेल को सौंपी गई। इकाई #5 और इकाई #7 सितम्बर 2016 तक आरंभ की जानी थी जबकि इकाई #6 और इकाई #8 दिसम्बर 2016 तक आरंभ की जानी थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से कोई भी इकाई अभी तक (जून 2017) आरंभ नहीं की गई है। यद्यपि, एलएंडटी अक्टूबर 2016 (02.10.2016) में आरंभ किये जाने के लिए तैयार इकाई #5 को समकालित कर सकती थी। भेल आज तक (जून 2017) इकाई #7 को समकालित करने में असमर्थ रही।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि प्रत्येक परियोजना की अलग विशिष्टताएं हैं जैसे कि स्थान संबंधी बाधाएं, संसाधनों की उपलब्धता, इंटरफेसिंग प्रणाली आदि। छाबरा इकाई #5 और #6 अभी भी

आरंभ की जानी थी; सूरतगढ़ परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब, स्वरूप में परिवर्तन, ड्राईंग्स को अंतिम रूप देने में विलंब, संयंत्रों के संतुलन के विक्रेता अनुमोदन/उप-विक्रेता अनुमोदन में विलंब के कारण था। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि इंटेक वाटर पंप हाऊस और खारे पानी के जलाशय के बीच जमीन का एक भाग जिसमें से आरंभ करने के लिए आवश्यक पानी लाने के लिए पाईप लाईन का निर्माण किया जाना था, उसको उपभोक्ताओं द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इकाई #7 का समकालन विलंबित हुआ। 04 मार्च 2017 को भेल को जमीन सौंप दी गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए है कि दोनों परियोजनाएं समान समय और समान निबंधन और शर्तों के इपीसी आधार पर सौंपी गई थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जमीन की अनुपलब्धता पर जून 2016 की बैठक में चर्चा नहीं की गई थी जब भेल ने दिसम्बर 2016 तक इकाई #7 का समकालन पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

6.5 भेल आपूर्तियों के गुणवत्ता मामले

भेल की उत्पादन इकाईयां को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सामग्री/उपस्कर आपूर्ति करना अपेक्षित हैं, ताकि ये आवश्यक निष्पादन स्तर पर निष्पादन करे और कंपनी मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य के कारण निर्माण और आरंभ करने में विलंब का सामना नहीं कर सके। भेल ने गुणवत्ता पर अपने प्रतियोगियों से परम्परागत रूप से अधिक अंक प्राप्त किये थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने परियोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों जैसे (i) निर्माण स्तर, (ii) आरंभ करने का स्तर, और (iii) संचालनात्मक स्तर/वारंटी अवधि के दौरान गुणवत्ता/कर्म-कौशल समस्याओं का अवलोकन किया। पीएस, आईएस और आईओ में देखे गये गुणवत्ता/कर्म-कौशल संबंधित मामले **अनुबंध 6.2** में दिये गये हैं। इन मामलों के कारण लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा हेतु चयनित नमूना परियोजनाओं में पुनः कार्य की लागत के संबंध में ₹138.44 करोड़ त्रिची और हरिद्वार इकाईयों द्वारा वहन किये गये।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किया गया है पुनः कार्य/निरस्तीकरण की लागत पांच वर्षों (2011-16) के लिए त्रिची और हरिद्वार इकाईयों के टर्नओवर के एक प्रतिशत से कम आंकी गई है। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि निर्माण/आरंभ करने/वारंटी अवधि के दौरान पाये गये गुणवत्ता मामलों को निपटाया गया था/निपटाया जाना था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नमूना जांच में ₹138.44 करोड़ की पुनः निर्माण लागत दर्शाई गई है, वास्तविक लागत अधिक हो सकती है। भेल के कम होते लाभ को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्माण लागत की अनदेखी नहीं की जा सकती।

6.5.1 गुणवत्ता शिकायतों का समाधान

भेल आपूर्तियों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों के समाधान के आकलन करने के लिए, त्रिची निर्माण इकाई की समीक्षा की गई थी। गुणवत्ता निर्धारण विभाग त्रिची इकाई द्वारा आपूर्त

सामग्री/मदों/घटकों के निर्माण के दौरान सामना की गई समस्याओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है। त्रिची इकाई द्वारा भेजी गई सामग्री के मामले में निपटान के समय पर सुधार/पुनः निर्माण की आवश्यकता होती है, गुणवत्ता निर्धारण विभाग त्रिची इकाई से डेबिट लागत पर पुनः निर्माण और सुधार कार्य करने के लिए संबंधित भेल साईट से अनुरोध करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान,

- 80 प्रतिशत तक शिकायत मामलों और उनके लागत डेबिट त्रिची इकाई (7168 शिकायतों में से 5705 मामले) द्वारा स्वीकृत किये हैं। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत शिकायत मामलों की समीक्षा ने दर्शाया कि उनमें से अधिकतर (~60 प्रतिशत मामले) डिजाइन और अभियांत्रिकी से संबंधित थे।
- 7168 शिकायतों में से 730 शिकायतें उप-ठेकेदारों/विक्रेताओं के कारण थीं। आऊटसोर्सिंग संविदा के अनुसार, यदि कोई कार्य खराब, गुणवत्तारहित या खराब कारीगरी या घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री से बना था, तब तैयारकर्ता/विक्रेता ही अपनी लागत पर पूर्णतः या आंशिक रूप से सुधार करने के लिए जिम्मेदार होता है। उचित अवधि के दौरान ऐसा करने में विफल रहने पर, भेल तैयारकर्ता/विक्रेता के जोखिम और लागत पर कार्य में सुधार करने या पुनः निर्माण करेगा। तथापि, उप-ठेकेदार/विक्रेताओं की ओर से इकाई द्वारा वहन किये गये व्यय की ऐसी लागत के विवरण रिकॉर्ड में नहीं रखे गये थे। उप विक्रेताओं से वसूली की कोई घटना/समीक्षा के अंतर्गत अवधि के लिए तीसरी पार्टी निरीक्षण पर की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।
- साईट कार्रवाई रिपोर्ट (एसएआरज़) और कमिश्निंग कार्रवाई रिपोर्ट (सीएआरज़) दस दिनों की अवधि के अंदर निपटाई जानी थीं। एसएआर (2011-16 के दौरान) के 28 प्रतिशत और सीएआर (2015-16) के 52 प्रतिशत में, निपटान के लिए लिया गया समय निर्दिष्ट किये गये समय से अधिक था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016/फरवरी 2017) कि शिकायतों के निपटान के लिए दस दिनों से अधिक का समय लिया गया क्योंकि वे विक्रेताओं की भागीदारी से निपटाई गई थी। खरीदी गयी मदों से संबंधित अधिकतर मामलों में विक्रेताओं के प्रोत्साहन और फोलो अप शामिल थे। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उचित उपाय किये जाएंगे और भविष्य में ऐसी कमियों को कम करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि 28 प्रतिशत एसएआरज़ और 52 प्रतिशत सीएआरज़ 2011-12 से 2015-16 के दौरान औसतन दस दिनों के बाद निपटाई गई थी, 9.31 प्रतिशत एसएआरज़ और 52.50 प्रतिशत सीएआरज़ 2016-17 में 10 दिनों के बाद निपटाई गई थी। मंत्रालय ने कहा कि विक्रेताओं से लागत वसूली सहित एसएआर मामलों की रिपोर्ट बनाने के लिए त्रिची स्थानीय प्रणाली में एक प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, 'साईट द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत' फील्ड को भरना, साईट पर पुनः निर्माण/मरम्मत करने के लिए साईट द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत प्राप्त करने को फरवरी

2017 में भेल कार्पोरेट एसएआर/सीएआर प्रणाली में आवश्यक बनाया गया था। इस प्रकार, विक्रेताओं से लागत वसूली सहित एसएआर/सीएआर मामले इकाईयों द्वारा प्रभावी रूप से निपटाये जायेंगे।

लेखापरीक्षा प्रबंधन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई की सराहना करता है, जिसकी प्रभावकारिता भविष्य में आंकी जाएगी।

मामले का अध्ययन 2: बुशिंग की खराब गुणवत्ता के कारण ₹24.70 करोड़ की हानि

बुशिंग एक महत्वपूर्ण संघटक है जो बल्क विद्युतीय बिजली ट्रांसमिशन की संबंधित विद्युतीय प्रणाली को ट्रांसफार्मर से जोड़ता है। बुशिंग विभिन्न रेटिंग के ट्रांसफार्मर/रिएक्टर के लिए एक टर्मिनल इंसूलेटर के रूप में कार्य करता है। बुशिंग असफल होने की सूचना 2010 से 200 एमवीए से ऊपर रेटिंग के जेनरेटर ट्रांसफार्मर (जीटीज़) में दी गई थी।

अध्ययन के आधार पर, बुशिंग की असफलता 'थर्मल रन अवे' नामक घटना के कारण थी। भेल ने जीटी में संस्थापित सभी बुकिंग को वापस लाने का निर्णय लिया (मई 2014) जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान आरंभ किया गया था और बाहरी स्रोतों से खरीदी गई समान बुशिंग के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। अप्रैल 2015 तक भेल भोपाल इकाई ने ₹14.87 करोड़ की लागत पर 236 बुशिंग (192 420 के.वी. 1250 एम्पीयर रेटिंग बुशिंग और 44 420 के.वी. 2000 एम्पीयर रेटिंग बुशिंग) खरीदी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर, उच्चतर करंट एम्पिकेशन बुशिंग की समस्या अब सुलझाई जा (अप्रैल 2016) चुकी है। ऐसी सुधारी गई बुशिंग पर टाईप टेस्ट प्रक्रियाधीन थे। तथापि, अक्टूबर 2013 और जनवरी 2015 के बीच, तीन परियोजनाओं के अंतर्गत छः जीटी बुशिंग असफलता के कारण खराब हो गये थे और भेल ने ऐसे खराब जीटी की मरम्मत पर ₹9.83 करोड़ व्यय किये। इस प्रकार, भेल को बुशिंग के प्रतिस्थापन और जीटी की मरम्मत के कारण ₹24.70 करोड़ (₹14.87 करोड़ + ₹9.83 करोड़) की हानि उठानी पड़ी।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) की जीटी के लिए 420 के.वी. बुशिंग के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में वैक्यूम ड्राईंग प्रक्रिया व आयातित स्रोतों से पेपर की खरीद कर इंसूलेटिंग पेपर की गुणवत्ता में सुधार कर इसमें सुधार किया गया है।

तथापि, बुशिंग की असफलता से संबंधित मामले 2010 में विफलता की सूचना दिये जाने के बाद छः वर्षों के बाद 2016 में निपटाये गये थे।

6.6 सामग्री की खरीद

भेल अपनी विनिर्माण इकाईयों/परियोजनाओं के लिए सामग्री/उपस्करों की खरीद करता है। भेल द्वारा सामग्री की खरीद में निम्नलिखित मामले देखे गये थे।

6.6.1 मद-वार मात्रात्मक भिन्नताएं

भेल द्वारा सामान की खरीद के लिए प्रयुक्त निविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के 'निविदा मूल्य की भिन्नता' के अनुसार जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, दो वर्षों के अंदर 30 प्रतिशत तक आदेश/संविदा में कोई वृद्धि या कमी कीमत में नहीं की जाएगी। परियोजना अभियांत्रिकी प्रबंधन/नोएडा में समीक्षा के लिए चयनित 155 खरीद आदेशों (पीओ) के नमूने का चयन किया गया, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस खंड में केवल 38 पीओज शामिल किये गये थे। यह देखा गया था कि निविदा में जहां यह खंड जोड़ा गया था वहाँ मद-वार की जगह पूर्ण निविदा मूल्य की तुलना में 30 प्रतिशत भिन्नता देखी गई थी। इसका अर्थ है कि कुछ मदों में सकारात्मक भिन्नता को अन्य मदों की नकारात्मक भिन्नता के प्रति समायोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया

कि 14 पीओज, जहां प्रबंधन द्वारा 30 प्रतिशत (31.25 से 1950 प्रतिशत की रेंज के बीच) से अधिक सकारात्मक भिन्नता की 128 मदों सहित और 30 प्रतिशत (33.20 से 100 प्रतिशत की रेंज के बीच) से अधिक नकारात्मक भिन्नता की 61 मदों सहित अंतिम गुणात्मक विभिन्नता को अनुमोदित किया गया था। इसने दर्शाया कि मात्राओं का पत्रक (बीओक्यू) उचित प्रकार निर्धारित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, विगत अनुभव के आधार पर न्यूनतम स्तर पर निविदा मूल्य और मात्राएं दोनों में भिन्नताओं को सीमित करने के लिए इकाईयों/क्षेत्रों को एक परिपत्र जारी (अप्रैल 2017) किया गया है।

लेखापरीक्षा इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की सराहना करता है, जिसके कार्यान्वयन की समीक्षा भविष्य की लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

6.6.2 भेल इकाईयों में ई-खरीद

भेल की नीतिगत योजना 2012-17 में प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में ई-खरीद की पहचान की गई थी। नवम्बर 2011 में, 80 प्रतिशत ई-खरीद (मूल्य द्वारा) का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भेल कार्पोरेट कार्यालय ने ई-खरीद के तीव्र कार्यान्वयन के लिए इकाईयों को निर्देश किया (23.03.2013) और निर्देश दिया कि 01.04.2013 से 100 प्रतिशत एकल-भाग बोलियां ई-खरीद द्वारा आवश्यक रूप से जारी की जाय। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- त्रिची इकाई 2015-16 तक ई-खरीद द्वारा कुल खरीद का 60 प्रतिशत तक प्राप्त कर सकी।
- हैदराबाद इकाई 2015-16 तक ई-खरीद के कुल मूल्य के लिए केवल 8.07 प्रतिशत तक प्राप्त कर सकी।
- बेंगलुरु इकाईयां (विद्युत मंडल और औद्योगिक सिस्टम ग्रुप) 2015-16 तक ई-खरीद के माध्यम से कुल खरीद का क्रमशः 17.25 प्रतिशत और 10.72 प्रतिशत तक प्राप्त कर सकीं।

प्रबंधन ने स्पष्ट किया (फरवरी 2017) कि कार्यान्वयन के दौरान, ई-खरीद की अपनी चुनौतियां जैसे टेम्पलैट्स की भिन्नता, खरीद की भिन्नता के लिए विशिष्ट निर्माण के लिए आवश्यकता जांच करना, बग हटाना, अद्यतनीकरण, कोर्स ठीक करना, डिजीटल हस्ताक्षर आवश्यकताओं के लिए विक्रेता की धीमी प्रतिक्रिया थीं और इसके परिणामस्वरूप परिवर्तित प्रबंधन ने लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक प्राप्ति को प्रभावित किया। तीव्र कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, विस्तारित लक्ष्यों को संतुलित स्कोर कार्डों में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

भेल की कोई भी इकाई नीतिगत योजना 2012-17 में परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

6.7 खरीद के लिए न्यून विक्रेता आधार

6.7.1 खरीद नीति 2013 के अनुसार, जब भी उत्पाद सामग्री निर्देशिका (पीएमडी) में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की संख्या चार से कम होती है, प्रबंधन को इकाई और भेल की वेबसाइट पर प्रकाशन द्वारा अतिरिक्त विक्रेताओं के पंजीकरण का सहारा लेना चाहिए और वेबसाइट पर ऐसे पंजीकरण के तथ्य को कम से कम दो राष्ट्रीय अखबारों में वर्ष में कम से कम एक बार विज्ञापित किया जाना

होता है। तथापि, यह देखा गया था कि 2012-13 से 2015-16 के दौरान, तीन भेल इकाईयों (पीइएम/नोएडा, रानीपेट, त्रिची) ने एक/दो/तीन विक्रेता आधार पर ₹2324.69 करोड़³⁴ मूल्य वाले 5292 आदेशों को अंतिम रूप दिया गया था। एक अन्य इकाई, इंडस्ट्रीयल सिस्टम्स ग्रुप (आईएसजी) बेंगलुरु ने वर्ष 2011-12 में एक बार को छोड़कर विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन जारी नहीं किये।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि अधिकतर खरीद खुले निविदाकरण द्वारा की गई थी और विक्रेता पंजीकरण के लिए खुली निविदा के प्रति सभी अर्हताप्राप्त विक्रेताओं को प्रस्ताव दिया गया था एवं तदनुसार, पीएमडी में पंजीकरण किया गया था। तथापि, एक/दो/तीन महत्वपूर्ण श्रेणी के लिए विक्रेता के पंजीकरण के लिए विज्ञापन इस वर्ष से प्रकाशित किया जायेगा।

मंत्रालय के आश्वसन को नोट किया जाता है एवं भविष्य की लेखापरीक्षाओं में सत्यापित किया जायेगा।

6.7.2 विक्रेताओं के पंजीकरण के प्रसंस्करण में विलम्ब

आपूर्तिकार के मूल्यांकन, अनुमोदन एवं समीक्षा पद्धति (एसईएआरपी) 2010 के अनुसार एक सम्भावित विक्रेता के स्वतः निर्धारित प्रपत्र की प्राप्ति पर, मूल्यांकन विक्रेता के परिसर में जाने की आवश्यकता न होने पर तीन महीनों के भीतर और विक्रेता के परिसर में जाने की आवश्यकता के मामले में चार महीने के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने विक्रेताओं के पंजीकरण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की और विक्रेताओं के पंजीकरण में काफी विलम्ब देखा गया।

- **परियोजना अभियांत्रिकी प्रबंधन (पीईएम), नोएडा:** 2012-13 से 2015-16 के दौरान, पीईएम ने 343 नए विक्रेताओं का पंजीकरण किया। तथापि, 255 विक्रेता (74.34 प्रतिशत) तीन महीने के समय के बाद पंजीकृत किए गए। प्रबंधन ने विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए निर्धारित समय से 341 दिनों तक का अधिक समय लिया। इसके अलावा, निर्धारित समय में पंजीकृत विक्रेताओं का प्रतिशत निर्धारित समय सीमा में एसईएआरपी की अनुबंधित समय सीमा के तहत विलम्बित आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए प्रबंधन समिति³⁵ के बार-बार ज़ोर देने के बावजूद 2013-14 में 41.34 प्रतिशत से 2014-15 में 21.11 प्रतिशत और 2015-16 में 14.08 प्रतिशत तक घट गया था।

³⁴ परियोजना अभियांत्रिकी प्रबंधन/नोएडा-मूल्य वाले ₹154.66 करोड़ के 90पीओ बॉयलर आक्सीलरी प्लांट/रानीपेट-₹1548 करोड़ मूल्य वाले 2325 पीओ, हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट/त्रिची-₹622.03 करोड़ मूल्य वाले 2877 पीओ।

³⁵ 19.8.2011 को हुई 287वीं प्रबंधन समिति की बैठक में लंबित विक्रेता पंजीकरण के तीव्र समापन और विभिन्न विकास का जल्द निपटान तथा ट्रायल कोड और एसईएआरपी में दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन पर दबाव दिया। 22.9.2011 को हुई 288वीं एमसीएम में एसईएआरपी में निदिष्ट समय सीमा के अंदर लंबित आवेदनों के जल्द निपटान की बात को दोहराया। 11.4.2012 को हुई 294वीं एमसीएम में कहा गया कि एकल विक्रेता/दो विक्रेता/तीन विक्रेता श्रेणियों और उच्च मूल्य मदों में विक्रेताओं को जोड़ने के लिए निदिष्ट लक्ष्य प्राप्त किये जाये। 22-25 जुलाई 2015 को हुई 330वीं एमसीएम में ईच्छा जताई गई कि तीन महीनों के बाद स्वतः पंजीकरण/निरस्तीकरण की प्रणाली की आवश्यकता थी।

- **बायलर सहायक संयंत्र (बीएपी), रानीपेट:** 2013-14 से 2015-16 के दौरान, 50 प्रतिशत (कुल 206 मामलों में से 103) विक्रेताओं के पंजीकरण 90 दिनों से अधिक के विलम्ब से अन्तिम किए गए थे।
- **उच्च दबाव उपस्कर संयंत्र (एचपीईपी), हैदराबाद:** पंजीकरण के लिए 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्राप्त 926 आवेदनों में से, 29 तीन महीनों की निर्धारित अवधि के प्रति 2 से 4 वर्षों की अवधि में प्रसंस्कृत किए गए। 124 मामलों में, पंजीकरण प्रक्रिया को 1 से 2 वर्ष लगे और 243 मामलों में पंजीकरण 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया गया।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि एसईएआरपी के अनुसार आपूर्तिकार को दस्तोवज़ों के प्रस्तुतीकरण के लिए केवल 15 दिन दिए जाने थे। तथापि, बहुत से आपूर्तिकार ने इस समय सीमा के तहत पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किये। संबंधित सामग्री पहचान एवं आपूर्तिकार नियंत्रण समिति (एमआईएससीसी) द्वारा सर्वेक्षण की सिफारिश के बाद आपूर्तिकार की उपलब्धता एवं तत्परता भी पंजीकरण में विलम्ब का कारण थी। तथापि, नये विक्रेता के पंजीकरण में विलम्ब को घटाने के लिए अनुरक्षण के लिए आईटी प्रणाली के विकास और समय के भीतर पंजीकरण सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाए गए। मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं दी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बीएपी रानीपेट में विक्रेता पंजीकरण के लिए 01 अप्रैल 2015 से ऑनलाइन सिस्टम के प्रचालन के परिणामस्वरूप वांछित सुधार नहीं हुआ चूंकि 91.17 प्रतिशत विक्रेता 2015-16 में 90 दिनों के बाद पंजीकृत किए गए।

6.7.3 सहायक तेल पम्प के लिए विक्रेता आधार के विस्तारण के लिए विलम्बित कार्रवाई

सहायक तेल पम्प (एओपीज़) थर्मल पावर प्लॉट के सफलतापूर्वक काम में लाए जाने एवं प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एओपी के किसी बहिरंश के परिणामस्वरूप मुख्य टरबाइन की परिणामी हानि होगी। यह देखा गया कि भेल द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाएं (एनटीपीसी और गैर-एनटीपीसी) ने वारंटी अवधि के दौरान भी कंपनी के उच्च स्तर की शिकायत की थी। चूंकि एओपीज के आपूर्तिकार मै. किलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड (केबीएल) ने कोई शोधन उपाय आरंभ नहीं किए थे, इसलिए भेल ने 37 एओपीज में से 19 प्रतिस्थापित किए और ₹1.27 करोड़ की अतिरिक्त लागत व्यय की। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि भेल ने मामले को केबीएल के साथ उठाया परन्तु तीन वर्षों से अधिक से केबीएल ने कोई शोधन उपाय प्रस्तावित एवं आरंभ नहीं किए थे। इसके बावजूद भेल ने वैकल्पिक आपूर्तिकारों को नहीं ढूँढा और केबीएल पर ही निर्भर रहे। केवल जनवरी 2015 में, भेल ने एओपीज को प्रतिस्थापित करने का निर्णय किया।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि एओपीज की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं की सूची में एक ओर विक्रेता (मै. केएसबी एजी) जोड़ा गया था। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि दो पम्पों की मरम्मत शुरू हुई है और इन पम्पों के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद दो एओपीज प्रति माह की दर से (कुल 8 महीने) मै. केबीएल द्वारा शेष 16 एओपीज की मरम्मत शुरू की जाएगी।

6.8 खरीद आदेश चक्र के लिए उच्च खरीद माँगपत्र

6.8.1 खरीद नीति के अनुसार, सभी भेल इकाईयों को उत्पाद की जटिलता पर निर्भर विभिन्न प्रकार की सामग्री/घटकों की खरीद समय सीमा³⁶ के लिए प्रतिमान विकसित एवं निर्धारित करने चाहिए। 2012-17 की नीतिगत योजना के अनुमोदन (नवम्बर 2011) करते समय भेल बोर्ड ने 2016-17 से 60 दिनों में 75 प्रतिशत खरीद आदेश (पीओ) चक्र समय के लिए खरीद माँगपत्र (पीआई) को घटाने के निर्देश दिए थे। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नमूने में निम्नलिखित देखा गया था:

- **पीईएम नोएडा:** 155 आदेशों में से, दस आदेशों (6.45 प्रतिशत) को 60 दिनों के भीतर पीआई से पीओ में रूपांतरित किया गया था।
- **विद्युत क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र (पीएसएनआर) नोएडा:** 64 आदेशों में से, 11 आदेशों को (17.19 प्रतिशत) 60 दिनों के भीतर पीआई से पीओ में रूपांतरित किया गया था।
- **विद्युत क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र (पीएसईआर) कोलकाता:** 89 आदेशों में से, 32 आदेशों को (35.95 प्रतिशत) 60 दिनों के भीतर पीआई से पीओ में रूपांतरित किया गया था।
- **बीएपी रानीपेट:** 2879 आदेशों में से, 697 आदेशों (24.21 प्रतिशत) को 60 दिनों के भीतर पीआई से पीओ में रूपांतरित किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि पीआई से पीओ में रूपांतरण व्यक्तिगत इकाईयों द्वारा खरीदी जा रही मदों की जटिलता पर निर्भर करता है और भेल में खरीद का विस्तारण व्यापक रूप से भिन्न होता है। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि 60 दिनों के बेंचमार्क में पीआई से पीओ में रूपांतरण 2013-14 में 63.90 प्रतिशत, 2014-15 में 62.40 प्रतिशत, 2015-16 में 63 प्रतिशत और 2016-17 में 64.30 प्रतिशत था।

तथापि, उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि लेखापरीक्षा में जाँच किए नमूने में पीआई से पीओ में रूपांतरण नीतिगत योजना में निर्धारित लक्ष्य (75 प्रतिशत) से काफी कम था।

6.8.2 सीईए निर्धारित समय सीमा के बाद प्लांट पैकेजों के बकाया का दिया जाना

चूँकि प्लांटों के बकाया (बीओपीज़) पैकेजों के अन्तिमीकरण में विलम्ब बाद में विद्युत परियोजनाओं की इकाईयों की कमीशनिंग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, इसलिए सीईए ने भेल को शून्य तिथि से 7-10 महीनों के भीतर बीओपी पैकेज को अन्तिम रूप देने करने के निर्देश (फरवरी 2009) दिए थे। तथापि यह देखा गया कि 17 परियोजनाओं में पीईएम नोएडा ने शून्य तिथि से 12 से 75 महीनों के बाद 32 बीओपी पैकेज दिए थे। यह देखा गया कि परियोजनाओं जिसके संबंध में 17 बीओपी पैकेजविलम्ब से दिये गये थे, में से तीन परियोजनाएं तीन महीने से महीनों के बीच 38 विलम्ब से पूरी की गयी थी, जबकि शेष सात परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन थीं।

³⁶ पृष्ठछाह करने, आर्डर देने और सामग्री की प्राप्ति करते हुए माँगपत्र की तिथि से समय

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2017) कि बीओपी मर्दों के मामले में विभिन्न इकाइयों/क्षेत्रों ने कार्य-स्थल प्रगति आदि से इनपुट के प्राप्त होने के बाद आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया था। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के साथ बहुल अन्तरापृष्ठ थे, जिनमें आवश्यक अनुमोदन सम्मिलित थे। मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि ऑनलाईन इनपुट एक्चेंज सिस्टम सभी प्रमुख इकाइयों को चलाने के लिए और सभी चालू परियोजनाओं को कवर करते हुए पुनः निरीक्षण और क्रियान्वित किया गया है।

भेल की विभिन्न इकाइयों/क्षेत्रों के बीच इनपुटों के शीघ्र सहभाजन और बीओपी पैकेजों को समय पर अंतिम रूप देने के लिए ग्राहकों के साथ तालमेल को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

6.9 सीमित निविदा आमंत्रण

नीतिगत योजना 2012-17 में अधिप्राप्ति गतिविधियों प्रतियोगी खरीदों, महत्वपूर्ण इनपुटों हेतु गठबंधन और स्वस्थ विक्रेता आधार के गठजोड़ को बढ़ाने के माध्यम से प्रतियोगी लागत पर समय पर इनपुटों की उपलब्धता सुनिश्चित करके के द्वारा परिचालन दक्षता को उल्लिखित किया गया। इसके अतिरिक्त भेल की खरीद नीति सभी मामलों में जहाँ ₹ 20 करोड़ से ऊपर के मूल्य के ऑर्डर हो, वहाँ खुली निविदा के आमंत्रण का प्रावधान करती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- पीईएम नोएडा में, चयनित 155 खरीद आदेशों में से, केवल 20 खरीद आदेश (अर्थात् 12.90 प्रतिशत) खुली निविदा के माध्यम से अंतिम रूप दिये गये थे। 13 मामलों में खुली निविदा के द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जिनका मूल्य 20 करोड़ से अधिक था तथापि पीईएम नोएडा ने चार मामलों में खुली निविदा आमंत्रण किया था।
- एचपीईपी हैदराबाद में, 80 खरीद आदेशों में से केवल दो आदेशों (अर्थात् 2.50 प्रतिशत) को खुली निविदा के माध्यम से अन्तिम रूप दिया गया था। 20 पीओज में किसी खुली निविदा आमंत्रण का सहारा नहीं लिया गया था जो कि प्रत्येक ₹20 करोड़ से अधिक थे।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2017) कि भेल प्रत्येक आवश्यकता के लिए खुली निविदा जारी नहीं करता है क्योंकि विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया वर्ष भर खुली हुई थी। सभी विक्रेताओं को पीएमडी में प्रवेश करने और उसके द्वारा भेल को आपूर्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने आगे कहा (मई 2017) कि इकाइयों/क्षेत्रों को सलाह दी गयी कि वे अनिवार्य रूप से खुली निविदाओं के लिए सभी प्रेस विज्ञापन में नए आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण की आवश्यकता को सम्मिलित करें।

उत्तर, कंपनी की अधिप्राप्ति नीति अननुपालन का समाधान नहीं करता है।

6.10 आपूर्तिकर्ता/विक्रेता मूल्यांकन

आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन हुए अनुमोदन और समीक्षा प्रक्रिया (एसईएआरपी), के अनुसार प्रत्येक परेषण/खरीद आदेश के लिए गुणवत्ता (भारिता: 60), सुपुर्दगी (भारिता: 30) और सेवा (भारिता: 10) को हिसाब में लेते आपूर्तिकर्ता निष्पादन का निर्धारण किया जाना था। यदि किसी विक्रेता का स्कोर 60 से कम है, तो उस आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय लेन-देनों को निलंबित कर दिया जायेगा। लेखापरीक्षा द्वारा आपूर्तिकर्ता निष्पादन प्रणाली की समीक्षा की गयी और अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गयी है:

6.10.1 पीईएम नोएडा:

- लेखापरीक्षा के लिए चयनित 155 पीओज नमूने में खरीदे गयी वस्तुओं के लिए (बीओआई) 98 पीओज और प्लांटों के बैलेन्स (बीओपी) के लिए 57 पीओज को सम्मिलित किया गया था। जबकि बीओआई पैकेजों का निष्पादन पीईएम के माध्यम से किया गया था, बीओपी पैकेजों का निष्पादन विद्युत क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि पीईएम ने बीओआई विक्रेताओं का मूल्यांकन दिया और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राप्त स्कोर भविष्य में कार्य प्रदान करने के लिए प्रयोग किये गये थे। तथापि, बीओपी विक्रेताओं के मूल्यांकन के लिए समान प्रणाली मौजूद नहीं पायी गयी थी।
- पीईएम नोएडा द्वारा दिए गए 98 बीओआई पैकेजों में से, 80 पैकेज 31 मार्च 2016 तक पूरे कर लिये गये थे। इन 80 पैकेजों में से 31 एक से 59 महीनों के बीच के विलम्ब से पूरे किये गये थे। तथापि, इन विक्रेताओं के मामले में खराब सुपुर्दगी रेटिंग³⁷ उनको आगे कार्य प्रदान करने की उपयुक्तता पर प्रभाव नहीं डालती क्योंकि कार्य प्रदान करने के विचार के लिए आवश्यक न्यूनतम स्कोर (60 अंक) को केवल 'गुणवत्ता' पैमाने से पूरा किया गया था।

अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2017) कि गुणवत्ता भार, सुपुर्दगी और सेवा के पैमानों से संबंधित मामले सुधार के लिए समीक्षा के अधीन थे। प्रबंधन ने यह भी बताया (मार्च 2017) कि बीओपी विक्रेताओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाओं को प्रतिपादित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनायी गयी है। मंत्रालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों की प्रशंसा करता है।

6.10.2 त्रिची इकाई:

2011-12 से 2015-16 के दौरान, त्रिची इकाई ने 1130 विक्रेताओं को 28755 पीओज दिए। विक्रेता निष्पादन रेटिंग (वीपीआर) की समीक्षा से पता चला कि 68 विक्रेताओं को दिए गए 110 पीओज में विक्रेताओं के पास 60 प्रतिशत से कम वीपीआर थे। तथापि, 68 विक्रेताओं में से 57 भविष्य में खरीद आदेश दिये जाने से निलंबित नहीं किए गए थे। यद्यपि त्रिची इकाई एसएपी पर है, खराब प्रदर्शन करने वाले विक्रेताओं को ब्लाक करने और उनको भविष्य में कार्य न देने से रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण मानदण्ड उपस्थित नहीं थे।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वीपीआर पूर्ववर्ती वर्ष में की गयी खरीदों के लिए वार्षिक रूप से संगणित किया गया और पीओ-बार नहीं जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया था। आपूर्तिकर्ता विकास सेल आगे पीओज प्राप्त करने में 60 प्रतिशत से कम अंक स्कोर करने वाले विक्रेताओं को ब्लाक करने के लिए एसएपी माँड्यूल में उपयुक्त प्रावधान लागू करेगा। प्रबंधन ने आगे बताया (फरवरी 2017) कि 60 प्रतिशत से कम रेटिंग (2015-16 के पूर्व वर्षों के लिए) वाले सभी विक्रेताओं को तब से निकाल दिया गया है।

प्रबंधन द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्रवाही की लेखापरीक्षा प्रशंसा करता है।

³⁷ तीन मामलों में 0-5, चार मामलों में 5-10, दो मामलों में 10-15, आठ मामलों में 15-20 और 13 मामलों में 20-30